# जनपद शामली पुलिस

**--सोशल मीडिया सेल शामली--**

**प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 16.07.2024**

**प्रेस नोट**

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 मामलों में 05 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 1,050/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1.वर्ष 2011 में अभियुक्तगण 1.साजिद पुत्र साहिद 2.मुरसलीन पुत्र इन्सार 3.बुधु पुत्र मौहम्मद उमर 4.इकराम उर्फ भिण्डा पुत्र सरफूदीन समस्त निवासीगण ग्राम बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 47/2011 धारा 3/5/8 CS ACT पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16.07.2024 को माननीय न्यायालय ACJ(JD)/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 3/5/8 CS ACT में सुनाई जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.वर्ष 2024 में अभियुक्त नवाजिस पुत्र यासीन निवासी मौहल्ला कश्यपपुरी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 301/2024 धारा 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16.07.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 50/- रुपये अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.साजिद पुत्र साहिद निवासी ग्राम बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली।
2.मुरसलीन पुत्र इन्सार निवासी ग्राम बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली।
3.बुधु पुत्र मौहम्मद उमर निवासी ग्राम बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली।
4.इकराम उर्फ भिण्डा पुत्र सरफूदीन बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली।
5.नवाजिस पुत्र यासीन निवासी मौहल्ला कश्यपपुरी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्ध शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में जानलेवा हमला करने के मामले में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई 05-05 वर्ष के कारावास की सजा एवं 22,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

वर्ष 2022 में थाना कोतवाली शामली पर अभियुक्तगण 1.अनिल कश्यप पुत्र कृष्णपाल 2. अनित कश्यप पुत्र कृष्णपाल 3.किरता उर्फ किरतपाल पुत्र आशाराम निवासी इस्लामपुर घसौली थाना कांधला जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 398/2022 धारा 307/34/341/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था । उक्त मुकदमें में अभियुक्तगण को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 16.07.2024 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैराना शामली द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को धारा 307 भादवि में 05-05 वर्ष के कारावास की सजा व 5,000-5,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास व धारा 341 भादवि में प्रत्येक को 01-01 माह के कारावास की सजा व 500-500/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिन के अतिरिक्त कारावास व धारा 504 भादवि में प्रत्येक को 02-02 वर्ष के कारावास की सजा व 1,000-1,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिन के अतिरिक्त कारावास एवं धारा 506 भादवि में प्रत्येक को 02-02 वर्ष के कारावास की सजा व 1,000-1,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1.अनिल कश्यप पुत्र कृष्णपाल निवासी इस्लामपुर घसौली थाना कांधला जनपद शामली।
2.अनित कश्यप पुत्र कृष्णपाल निवासी इस्लामपुर घसौली थाना कांधला जनपद शामली।
3.किरता उर्फ किरतपाल पुत्र आशाराम निवासी इस्लामपुर घसौली थाना कांधला जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI